उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संo:–24–विनियम एवं औ0स0/पाकालि/11–2 विनियम एवं औ0स0/2011 दिनांकः- 19.05.2011

अधिसूचना

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल ने "आर्टिकिल्स ऑफ एसोसियेशन" मे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अपनी 86 वीं बैठक दिनांक 27.04.2011 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले सेवकों के संविलियन हेतु निम्नवत् अंकित **"उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले सेवकों (शासन व अन्य प्रदेश के विद्युत निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों जहॉ वितरण एवं पारेषण का कार्य संचालित किया जाता हों) का संविलियन विनियम, 2011"** प्रख्यापित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है:–

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले सेवकों (शासन व अन्य प्रदेश के विद्युत निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों जहॉ वितरण एवं पारेषण का कार्य संचालित किया जाता हों) का संविलियन विनियम, 2011.

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ**

(1) ये विनियम उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में सेवकों (शासन व अन्य प्रदेश के विद्युत निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों जहॉ वितरण एवं पारेषण का कार्य संचालित किया जाता हों)_संविलियन विनियम, 2011 कहलायेगें।

(2) यह विनियम उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माने जायेगें।

2. **परिभाषायें**

जब तक विषय या प्रंसग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में:–

(क) "संविलीन व्यक्ति" से तात्पर्य ऐसे सेवक से है जिसका, शासन व अन्य प्रदेश के विद्युत निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों जहॉ वितरण एवं पारेषण का कार्य संचालित किया जाता हों, संविलियन कारपोरेशन द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो।

(ख) "प्रतिनियुक्ति" से तात्पर्य कारपोरेशन में किसी सेवक की सेवाओं को शासन व अन्य प्रदेश के विद्युत निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों जहॉ विद्युत वितरण एवं पारेषण का कार्य संचालित किया जाता हों, से वाहय सेवा से लेने से है।

(ग) "कारपोरेशन" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से है।

(घ) "उपक्रम या सरकारी सेवक" का तात्पर्य सम्बन्धित उपक्रम या सरकार के अधीन पेंशनदायी अधिष्ठान में किसी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।

(ड) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार से है।

(छ) "उपक्रम" का तात्पर्य है:–

(एक) उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम या किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या अधीन नियमित सांविधिक निकाय से है।

(दो) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत किसी सरकारी कम्पनी से है।

(तीन) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 4 के खण्ड (25) के अर्थान्तर्गत किसी स्थानीय प्राधिकारी से है।

19/5/11

(चार) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी वैज्ञानिक संगठन से है जो पूर्णतः या अंशतः, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रण में हो।

3. **प्रतिनियुक्ति के लिये संख्या सीमा**
किसी भी वित्तीय वर्ष में कारपोरेशन में स्वीकृत के सापेक्ष रिक्त पदो के दो प्रतिशत तक ही प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी लिये जा सकेंगें।

4. **आरक्षण**–प्रतिनियुक्ति में उत्तर प्रदेश सरकार के विद्यमान आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षण कोटा के अंर्तगत सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. **प्रतिनियुक्ति के लिये आयु सीमा**
किसी भी उपक्रम या सरकारी सेवक को 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात प्रतिनियुक्ति पर आने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. **प्रतिनियुक्ति के लिये समय सीमा**
किसी भी उपक्रम या सरकारी सेवक को साधारणतया पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिये कारपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर रहने की अनुमति नही दी जायेगी।

7. **प्रतिनियुक्ति हेतु चयनः**– 'TheUttar Pradesh State Electricity Board Service of Engineers Regulation, 1970' एवं समय–समय पर यथा संशोधित विनियमावली के अनुसार निर्धारित अर्हता प्राप्त किसी उपक्रम या सरकारी सेवक को पदानुसार अधिकृत नियोक्ता द्वारा घोषित चयन समिति के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

8. **कारपोरेशन में संविलियन**
(।) कारपोरेशन में किसी सरकारी उपक्रम या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सेवक को जो प्रतिनियुक्ति पर हो, संविलीन होने की अनुमति दी जा सकती है, यदिः–

(एक) वह अपनी प्रतिनियुक्ति के आरम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष समाप्त होने के पूर्व या 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक से पूर्व, जो भी पहले हो, कारपोरेशन को अपने संविलियन के लिये आवेदन करें और उससे संबन्धित उपक्रम या सरकार भी ऐसी अवधि के भीतर कारपोरेशन से उसके संविलियन के लिये सहमति दें।

(दो) कारपोरेशन भी लोक हित में ऐसे संविलियन के लिये सहमत हो। परन्तु कोई ऐसा सेवक जो इन विनियमों के प्रवृत्त होने के दिनांक को कारपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर हों, वह प्रतिनियुक्ति आरम्भ के एक वर्ष के बाद या खण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो भी बाद में समाप्त होती हो, अपने संविलियन के लिये आवेदन कर सकता है।

(तीन) कारपोरेशन में उसी सेवक के संविलियन पर विचार किया जायेगा जो अपने मूल विभाग में विद्युत पारेषण/वितरण के कार्य देखता रहा हो।

(।।) कारपोरेशन निम्नलिखित संविलियन पर सहमत न होगाः–

(क) जब तक कि सेवक अपने मूल उपक्रम या सरकार में समकक्ष पद पर अथवा उपक्रम या सरकार में किसी उच्च पद पर वह कम से कम 3 वर्ष न रहा हों।

(ख) जब तक कि उस पद के जिस पर उसे संविलीन किया जाना है, वेतनमान में उसका वेतन उस प्रक्रम पर निर्धारित न हो जो मूल विभाग में उसके पद के वेतनमान में उसे अनुमन्य वेतन प्रतिनियुक्ति भत्ते को जोड़ कर आये और उसे उसका मूल वेतन माना जाये।
परन्तुः–

(एक) यदि कारपोरेशन के वेतनमान में ऐसा कोई प्रक्रम न हो तो उसका वेतन उस प्रक्रम के ठीक नीचे के प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा और धनराशि में अन्तर की कमी को वैयक्तिक

19/5/11

वेतन के रूप मे स्वीकृत किया जायेगा जिसे भविष्य में होने वाली वेतन वृद्धियों में आमेलित किया जायेगा।

(दो) यदि मूल विभाग के वेतनमान में अनुमन्य वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ते का योग कारपोरेशन के वेतनमान के न्यूनतम वेतन से कम हो, तो उसका वेतन वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर निर्धारित किया जायेगा और यदि ऐसा योग कारपोरेशन के वेतनमान की अधिकतम धनराशि से अधिक हो तो उसका वेतन वेतनमान के अधिकतम पर निर्धारित किया जायेगा और धनराशि में अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत किया जायेगा।

(तीन) ऐसा संविलियन उस दिनांक के पूर्व के किसी दिनांक से स्वीकार नही किया जायेगा जिस दिनांक को सेवक का मूल उपक्रम या सरकार, कारपोरेशन को अपनी सेवा में संविलीन करने की अपनी सहमति पहली बार सूचित करें।

9. **संविलियन का प्रभाव:–** कोई सेवक, जिसको किसी उपक्रम या सरकार से संविलियन कारपोरेशन द्वारा स्वीकार किया गया हो, को उसके मूल विभाग में की गयी सेवावधि के सापेक्ष वरिष्ठता कारपोरेशन में उतनी सेवा किये बैच के सहायक अभियन्ता संवर्ग में निम्नतम स्तर पर निर्धारित की जायेगी और सेवा संबंधी वेतन एवं अन्य लाभ सहायक अभियन्ता के उस बैच के अनुसार ही अनुमन्य होंगे जिस बैच के साथ उस सेवक की वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

10. **सेवा निवृति लाभ:–** कोई ऐसा सेवक जिसे विनियम 6 के अधीन सेवा निवृत्त किया जाये, कारपोरेशन के अधीन पेन्शन के लिये अपनी अर्हकारी सेवा के आधार पर आनुपातिक पेन्शन के साथ मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति अनुतोषिक का हकदार होगा। यदि अर्हकारी सेवा दस वर्ष से कम हो तो उसे पेन्शन के बजाय मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक के साथ सेवा आनुतोषिक दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण:– सेवक कारपोरेशन में अपने सेवानिवृत्ति के दिनांक के पश्चात प्रवृत्त होने वाले पेन्शन नियमों में किसी उदारता के लाभ का दावा करने का हकदार नही होगा।

11. **पेशन** :–(1) तत्समय लागू सुसंगत विनियमों के अधीन पारिवारिक पेन्शन का लाभ केवल उन कर्मचारियों के परिवारों को अनुमन्य होगा जो इन विनियमों के अधीन अपने पूर्ववतीर्य मूल विभाग से पेन्शन के हकदार थे और उन कर्मचारियों के परिवारों को अनुमन्य नहीं होगा जो केवल सेवा आनुतोषिक के हकदार थे अर्थात जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा करने के पूर्व अपने मूल उपक्रम या सरकार से कारपोरेशन में संविलीन कर लिये गये हैं।

(2) परिवारिक पेन्शन कारपोरेशन में सेवक को उसी दशा में अनुमन्य होगी जबकि मूल उपक्रम या सरकार से कोई पारिवारिक पेन्शन अनुमन्य न हो।

12. **सेवानिवृत्ति के पश्चात साधारण पेन्शन और यात्रा भत्ता** :– विनियम में निर्दिष्ट सेवानिवृत्त के पश्चात कारपोरेशन किसी भी असाधरण पेन्शन या यात्रा भत्ता के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

13 **पेंशन की राशिकरण** :– संविलीन व्यक्ति अपनी पेन्शन के अंश का राशिकरण कारपोरेशन के कर्मचारियों पर लागू पेन्शन का राशिकरण सम्बन्धी आदेशों के उपबन्धों के अनुसार कराने का हकदार होगा।

14. **उर्पाजित छुट्टी का अन्तरण** :– वह उपक्रम या सरकार, जिससे कर्मचारी संविलीन किया गया है, कारपोरेशन की सेवा से निवृत्ति के समय सेवक के खाते में जमा उपार्जित अवकाश व निजी कार्य पर अवकाश के सम्बन्ध में दायित्व वहन करेगा और उसके बदले में कारपोरेशन को वह उपक्रम या सरकार एक मुश्त धनराशि का भुगतान करेगा जो सेवक को ऐसे उपक्रम या सरकार से कारपोरेशन में संविलियन के दिनांक को देय अवकाश के लिये छुट्टी वेतन के बराबर हो।

15. **भविष्यनिधि का अन्तरण** :– किसी संविलीन व्यक्ति के भविष्य निधि लेखा में ब्याज सहित जमा अभिदान की धनराशि का भुगतान उसे कारपोरेशन की सेवा से उसके निवृत्त होने के समय सुसंगत विनियमों के अनुसार किया जा सकता है यदि वह ऐसा चाहे तो उक्त धनराशि का अन्तरण अपने मूल उपक्रम या

19/5/11

सरकार से उसके नये भविष्य निधि सेवा में करा सकता है बशर्ते कि सम्बन्धित उपक्रम या सरकार भी ऐसे अन्तरण के लिये सहमत हो। भविष्य निधि के शेष का एक बार इस प्रकार अन्तरण हो जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति कारपोरेशन में लागू भविष्य निधि नियमों द्वारा नियंत्रित होगा।

निदेशक मंण्डल की आज्ञा से
नवनीत सहगल
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं0:–24(।)–विनियम एवं औ0स0/पाकालि/11–2 विनियम एवं औ0स0/2011 तद्दिनांक 19/5/2011

प्रतिलिपि (पॉच प्रतियॉ) प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ0प्र0 शासन , बापू भवन, लखनऊ को शासकीय गजट में प्रकाशित करवाने के अनुरोध के साथ कृपया प्रेषित।

(नन्द लाल)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन)

सं0:–24(।।)–विनियम एवं औ0स0/पाकालि/11–2 विनियम एवं औ0स0/2011 तद्दिनांक 19/5/2011

प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषितः–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 राज्य जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्मिांचल/दक्षिणाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी /लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
6. मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
7. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित/महाप्रबन्धक (लेंखा प्रशासन)/सलाहाकार (औ0स0/ काविनी), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 86वीं बैठक दिनांक 27.04.2011 में लिए गये निर्णय के अनुपालन के सन्दर्भ में।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब साइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड किए जाने हेतु।

(जावेद अहमद) 19/5/11
अनुसचिव (विनियम)